उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 8/2017/बी-1-1190 /दस-2017-231/2017

लखनऊ : दिनाँक : 03 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-201/2017 दिनाँक 02 जनवरी, 2017 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2017) से प्राधिकृत हो चुके हैं । अतः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदानों / भारित विनियोगों को अब बजट का अन्तिम रूप समझा जाय ।

2- वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय / भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाय -

(1) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करते समय प्रशासकीय विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने / समायोजित करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की जाय ।

(2) वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय-व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है । अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में आयोजनागत / आयोजनेत्तर का उल्लेख न किया जाय ।

(3) 'व्यय की नई मदों', अंशपूँजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम और परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाय एवं चालू योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी ।

(4) नयी परियोजना / योजना / सेवा के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने संबंधी जो भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जांय उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ-साथ संलग्नक - ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) बजट में व्यवस्थित योजनायें / कार्यक्रम (केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य / जिला सेक्टर) जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार की सब्सिडी **(cash or kind)** / सहायता अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं / कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि का माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना के लिये जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों **(guidelines)** के अनुसार योजनाओं / कार्यक्रमों की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्गत की जायेंगी ।

(6) जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी । यदि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी ।

(7) ऐसी राज सहायतित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, के लिये दो किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जाय जिसमें प्रथम किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त तथा दूसरी किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी ।

(8) छात्रवृति, वृद्धावस्था / किसान पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगजनों के भरण पोषण हेतु सहायता आदि, जिनकी स्वीकृति / व्यय के लिये सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत की गयी नियमावली अथवा स्थाई आदेश उपलब्ध हों, के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी । कोषागार से धनराशि का आहरण, व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

(9) मानक मद "14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(10) जिन मामलों में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का वित्त-पोषण किया जाना प्रस्तावित हो, उनमें किश्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार / संस्थाओं की शर्तों के अनुसार किया जाय । केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा लगायी गयी शर्तों का स्वीकृति आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) स्वायतशासी संस्थायें जिन्हें प्रशासकीय विभाग द्वारा सहायता अनुदान / अंशपूंजी / ऋण स्वीकृत किया जाता है, के कोषागार से भुगतान हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 209 के अनुसार स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी अथवा प्राधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए । यदि स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर न किया जाना हो तो ऐसे में स्वायतशासी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाने वाले सरकारी अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख वित्तीय स्वीकृति में किया जाय ।

(12) किसी परियोजना / योजना / कार्यक्रम आदि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने की स्थिति में -

(क) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाय ।

(ख) निर्माण कार्य जिनमें प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं आगणन का मूल्यांकन किया जाना है, उन प्रकरणों में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व तथा अन्य प्रकरणों में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.एफ.ए.डी.), व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को संदर्भित करने से पूर्व विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था में से किसी एक का चयन सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुरूप करा लिया जाय । कार्यदायी संस्था के चयन के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत संस्था अनुमानित निर्माण लागत का कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत है । कार्यदायी संस्था के चयन के उपरान्त, अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर, नई संस्था चयनित न की जाय, ताकि परियोजना की लागत में कॉस्ट-ओवर-रन्स की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके ।

(ग) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 1.00 करोड़ तक है और सम्बन्धित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 30 सितम्बर तक जारी की जा रही है तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में अवमुक्त की जायेगी । 30 सितम्बर के उपरान्त तभी सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में अवमुक्त करने पर विचार किया जाय जब विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव पूर्ण रुप से आश्वस्त हों कि सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो जायेगा ।

(घ) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 1.00 करोड़ से अधिक और रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त 50 प्रतिशत या इससे कम हो । प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त प्रशासकीय विभाग के द्वारा अवमुक्त की जाये एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(च) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ से अधिक है, तो निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रुप में निर्माण लागत की 40 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्तकी जाय । प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रशासकीय विभाग के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और दूसरी किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रुप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाये । निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त, निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाये । बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जाये ।

(छ) जिन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों / एलीवेशन एरिया दरों / मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, उनमें द्वितीय एवं अगली किश्तें तभी अवमुक्त की जायें जब परियोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाय ।

(ज) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(13) विभागीय अनुदानों में जहाँ योजनाओं के लिये अलग से भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रावधान है, ऐसे प्रकरणों में भू-प्रतिकर हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी ।

(14) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ / हो रहा है ।

(15) उप प्रस्तर 2(12) में दिये गये निर्देश स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं आदि के लिये मानक मद '35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से पोषित निर्माण कारणों के सम्बन्ध में भी समान रुप से लागू होंगे ।

(16) ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) को मानक मद '35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' दिया जाना है, उसमें उप प्रस्तर 2(12) के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) केन्द्र प्रायोजित चालू योजनायें / परियोजनायें / कार्यक्रम, जिनमें अधिष्ठान व्यय (वेतन-भते आदि) भी सन्निहित है तथा योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रुप से प्राप्त होता रहा हो तथा 31 मार्च, 2017 तक अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष कोई धनराशि बकाया नहीं है और चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश प्राप्त हो चुका है तो ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ (केन्द्रांश तथा राज्यांश), प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की पुष्टि वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से करने के उपरान्त, प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी ।

(18)(क) बजट में कतिपय योजनाओं के लिये सम्मिलित की गयी एकमुश्त व्यवस्था के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-31 के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि स्वीकृतियाँ जारी करने में कोई विलम्ब न होने पाये । एकमुश्त बजट व्यवस्था के समक्ष व्यय की नयी योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार योजना की कुल लागत पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग द्वारा अगले वर्ष 15 अप्रैल तक माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष पैरा-94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जिन योजनाओं के लिये पूर्व में एकमुश्त बजट प्रावधान से धनराशि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है, उन योजनाओं के लिए अनुमोदित लागत की सीमा तक शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी । इस हेतु पुनः पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु योजना की मूल लागत / योजना के प्रकार या प्रसार में परिवर्तन होने की दशा में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व यथावश्यक पैरा-94 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा ।

(19) चालू परियोजनायें, जिनके सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन और परियोजनाओं पर होने वाले अनावर्तक व आवर्तक व्यय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् आंशिक धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैं, के लिए बजट में उपलब्ध प्रावधान से आवश्यकतानुसार शेष धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति, विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि, यदि कोई हो, का समायोजन करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी ।

(20) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिन मामलों में भुगतान किया जाना है, ऐसे मामलों में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लेकर भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी ।

(21) वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों हेतु मानक मद "52-पुनरीक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वेतन का अवशेष (राजकीय)" तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कार्मिकों के लिये मानक मद "53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज सहायता)" में की गयी है । अतः दिनाँक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे.आ.-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्थानुसार मानक मद-52 / मानक मद-53 से प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जाय ।

(22) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग, 78-सचिवालय प्रशासन विभाग तथा 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के लिये व्यवस्था है, जिसका विवरण सम्बन्धित अनुदानों एवं बजट साहित्य खण्ड-2 (भाग-1) के विवरण पत्र-11 (पृष्ठ-8.22) पर दिया गया है । उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016, दिनाँक 29 अगस्त, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्त विभाग के संबंधित व्यय-नियंत्रण अनुभाग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

3- उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- योजनाओं हेतु प्रावधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए. / डिपाज़िट खाते में जमा नहीं किया जायेगा । विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग की सहमति एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से स्वीकृत धनराशि को कार्यदायी संस्था के डिपाज़िट खाते में जमा किया जा सकेगा । डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनाँक 03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाज़िट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेंगी । विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की धनराशि स्वीकृत कर डी.आर.डी.ए. के डिपाज़िट खाता में स्थानान्तरित करके योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- ज़िला योजनाओं की स्वीकृतियाँ सीधे संबंधित ज़िला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जायं तथा उनकी प्रतियाँ संबंधित ज़िलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जायं । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- रिसोर्स लिंक योजनाओं (यथा केन्द्र से वित्त पोषित, वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित तथा वाह्य सहायतित) में प्रावधानित धनराशियों का अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग न किया जाये ।

7- परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कॉस्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

8- समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें । जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रुप से की जाय । वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ न जारी की जायं ।

9- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय । यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय । ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

10- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय । कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय । कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृत आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय ।

11- अनुदानों को विभागवार / विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखा शीर्ष अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि की संभावना रहती है । अतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रुप से उल्लेख कर दिया जाय । भारित व्यय के लिए जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में मानक मद के आगे कोष्ठक में 'भारित' शब्द का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय । बजट साहित्य में विस्तृत लेखाशीर्ष को चार अंकों में दर्शाया गया है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिसके प्रथम दो अंक उप शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं । वितीय स्वीकृतियों / आवण्टन पत्रों में विस्तृत शीर्ष का उल्लेख चार अंकों में किया जाय परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में विस्तृत शीर्ष के अन्तिम दो अंको (चार अंकों में से प्रथम दो अंक छोड़कर) को ही अंकित किया जाय । प्रशासकीय विभागों को इस सम्बन्ध में यदि किसी परामर्श की आवश्यकता हो, तो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से परामर्श प्राप्त कर सही लेखाशीर्ष के अन्तर्गत ही स्वीकृतियाँ जारी की जायं ।

12- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें । वे कृपया यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार / अन्य संस्थाओं को ऐसी योजनाओं के व्यय के आडिटेड लेखों के संबंध में प्रमाण-पत्र के साथ प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई / विलम्ब न हो ।

13- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वितीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

15- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, और सचिवालय के संबंधित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये । इसलिये नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर पर भी वितीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये ।

16- वितीय स्वीकृतियों के शासनादेश की प्रतिलिपि यथास्थिति, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजने के साथ-साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जाय । स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के लिए वितीय स्वीकृतियों के शासनादेश निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी पृष्ठांकित किये जायें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों को वेब साईट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय ।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : 8/2017/बी-1- 1190(1)/दस-2017-231/2017, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-A

INFORMATION TO BE SUBMITTED WITH PROPOSALS OF FINANCIAL SANCTION OF "NEW SERVICE/ NEW EXPENDITURE"

Department ..... Financial Year .....

Grant No. and Name .....

(Amount in lakh rupees)

(A) Statement of Proposal

1. Name of the Scheme :
2. Description of the Scheme and its Objects :
3. (i) Description of the manner in which the scheme is proposed to be implemented including the mention of the agency through which the Scheme will be executed :

   (ii) Time schedule of the Programme and target date of completion :

(B) Financial Implications of the Proposal :

4. Total expenditure involved (Recurring and non-recurring to be shown separately), its broad item-wise details and year-wise phasing : Share of establishment expenditure in the total recurring expenditure be indicated (in percentage). :
5. If the creation of posts is required, the number of posts (Statement of pay-scales and staffing norms be attached). :
6. If the expenditure is on works; the broad details thereof, their justification and basis of estimates. Year-wise estimated expenditure on maintenance subsequent to the completion of work or/ and subsequent to the expiry of warrantee period (if any) on equipment / machines. :
7. Sources of Funds for the Scheme -

   (i) Central Plan/ Centrally Sponsored Schemes -

   Financing pattern be clearly mentioned. Position of funds receivable/ received from the Centre be clarified.

   (ii) Schemes funded by various Financial Institutions - Details be given according to (i) above

   (iii) Others - Details of funds expected to be received for the scheme through dovetailing by convergence

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

with a view to optimum utilization of the resources.

(In case of the Scheme being a Central Scheme/ Centrally Sponsored Scheme or funded by a Financial Institution, the Central share or the share of the Financial Institution and the State share be given clearly)

8. Details of year-wise liabilities against the estimated cost of remaining works (including land-building, furnishings, machines, equipment, vehicle etc) of different programmes / projects / schemes be given in prescribed form. (Consolidated year-wise details can be given in Form B.M.-12A in respect of the works / schemes costing upto Rs. five crore, but individual works / schemes of more than Rs. five crore should be shown separately in Form B.M.-12B).

9. Classification of the proposed budget estimate according to Heads of Account-

(It should be clearly mentioned whether the proposed provision is for both, the Central share the share of the financial institution and the State share or for State share only)

Revenue Expenditure : .....

: .....

Total Revenue Expenditure : .....

Capital Expenditure : .....

: .....

Total Capital Expenditure : .....

12. Other Related Details

(C) Supplementary information, if any

(D) Points on which sanction are sought

Name of Section .....

File No. .....

Date .....

Signature .....

Additional Chief Secretary /

Principal Secretary/ Secretary of the

Administrative Department

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।